

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी:-

उम्मेदी लाल मीना (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :-

103 / 2023

श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हनुमानगढ़

-प्रार्थी

-:बनाम:-

राजेश कुमार भूतना पुत्र जगनलाल भूतना (निर्माता एवं वितरक)
मैसर्स:-एक्वाहोम एप्लाइन्स, जी-92 फेज-2, रीको, हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला
हनुमानगढ़।

निवासी-वार्ड नं. 08, हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला हनुमानगढ़



खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 2(2) एवं धारा 52

उपस्थित:-

1. श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राज्य पक्ष।
2. श्री प्रताप सिंह शेखावत, अभिभाषक अप्रार्थी।

-:निर्णय:-

दिनांक :-21.05.2024

प्रार्थी श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री सुदेश कुमार गर्ग दिनांक 18.01.2023 को समय प्रातः 11.15 बजे मय साथी टीम व सामान नमूनीकरण वास्ते मैसर्स-एक्वाहोम एप्लाइन्स, जी-92 फेज-2, रीको, हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला हनुमानगढ़ पर दुकान निरीक्षण व नमूनीकरण वास्ते पहुंचे। वहां पर राजेश कुमार भूतना पुत्र जगनलाल भूतना (निर्माता एवं वितरक) निवासी-वार्ड नं. 08, हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला हनुमानगढ़ उपस्थित मिला। उक्त विक्रेता के पास निर्माण इकाई पर लगभग 1200 लीटर Packaged Drinking Water (CR Bilseri Brand) 01 लीटर वजनी प्लास्टिक सीलड बोतल दुकान में करीब 1200 नग तैयारशुदा आमजन के बेचान वास्ते रखे हुये थे। जिसमें मिलावट का शक होने पर 12 मूल सीलड बोतल 01 लीटर वजनी Packaged Drinking Water (CR Bilseri Brand) की नमूना जांच वास्ते क्रय करने की इच्छा व्यक्त की तथा विक्रेता को मौके पर फार्म नं. 05 ए भरकर दिया। जिस पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं आवेदन ने हस्ताक्षर किये। विक्रेता को मौके पर ही खरीद मूल का 70/-रूपये का नगद भुगतान किया तथा माल खरीद रसीद बनवाकर ली। जिस पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं खाद्य सुरक्षा ने हस्ताक्षर किये। माल खरीद रसीद/कैश मीमो परिवाद संग सलग्न है। प्रार्थी द्वारा सैम्पल लेने से पूर्व फार्म नं 5 ए की प्रति पर नोटिस देकर यह बता दिया कि नमूना वास्ते जांच लिया गया है। फार्म 5 ए पर विक्रेता तथा गवाहान ने पढ़कर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं. 05 ए की प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खरीदशुदा Packaged Drinking Water (CR Bilseri Brand) 01 लीटर वजनी 12 मूल सीलड प्लास्टिक बोतल पर चार लेबल तैयार कर विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर चिपकाया। ऊपर से प्रत्येक सीलड बोतल को मोटे खाकी कागज से लपेटकर किनारों को सफाई से मोड़ कर उन पर खाद्य नमूना कोड व अनुक्रमांक एके-2373 एवं अन्य विवरण दर्ज कर चारों पैकेटों पर चिपकाया। प्रत्येक पैकेट को मोटे खाकी कागज में लपेटकर ऊपर से नीचे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ एवं जिला अभिहित अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित पेपर रिलप कोड नं. एके-2373 को चिपकाया। प्रत्येक पैकेट को नियमानुसार मोटे सफेद धागे से बांधा व चार-चार जगह से सील चपड़ी किया। चारों नमूना भागों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे में लिया। समस्त की गई कार्यवाही की मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर विक्रेता एवं गवाहान को समझा व सुनाकर हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फार्म नं0 6 कार्यालय में तैयार किया एवं नमूना सील किया गया। एक नमूना मय फार्म नं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सील मोहर कर श्रीमान खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर को जांच हेतु जमा कराया गया। फूड एनालिस्ट पब्लिक हैल्थ लैबोरेट्री से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ ने प्रार्थी (आवेदक) को नमूने की जांच रिपोर्ट क्रमांक



न्याय निर्णायक अधिकारी एवम्
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

57 दिनांक 30.01.2023 जिसके अनुसार नमूना जांच Misbranded Food प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी ने उक्त प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश करने को कहा गया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ ने विक्रेता को पुनः जांच हेतु पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/2428-29 दिनांक 06.02.2023 द्वारा रजिस्टर्ड डाक के द्वारा सूचित किया। नमूना विक्रेता ने नमूने के दूसरे भाग की रैफरल फूड लैब से जांच हेतु निर्धारित अवधि या उसके पश्चात कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। प्रार्थी (आवेदक) द्वारा अनुसंधान कार्य पूर्ण होने के बाद समस्त कागजात अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ को मूल पत्रावली प्रस्तुत की गयी, जिसको अभिहित अधिकारी ने समस्त कागजातों का अवलोकन कर न्याय निर्णयन आवेदन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया। इस प्रकरण में अप्रार्थी ने Misbranded Packaged Drinking Water (CR Bilseri Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना धारा 52 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के आधार पर Packaged Drinking Water (CR Bilseri Brand) विक्रेता एवं मालिक एफएसएसए 2006 की धारा 31 की श्रेणी में आते हैं। इसलिए विक्रेता पर नियमानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पाबंद किया गया।

अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा बहस की गई कि उक्त नमूने को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला द्वारा मात्र मिसब्रान्डेड फूड घोषित किया है नमूना में ऐसी कोई कमी नहीं पाई गई। जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। अप्रार्थी से जिस Packaged Drinking Water (CR Bilseri Brand) का सैंपल लिया गया है उक्त Packaged Drinking Water (CR Bilseri Brand) का निर्माण कंपनी द्वारा किया जाता है। अप्रार्थी निर्माता व डीलर नहीं है बल्कि मात्र कर्मचारी है। अप्रार्थी ने एफएसएसए की धारा 26 (2) का उल्लंघन नहीं किया है। एफएसएसए की धारा 31 (2) के तहत सुधारात्मक कार्यवाही कर छोड़ने का प्रावधान है। जिसका अप्रार्थी को लाभ दिया जाना न्यायोचित है। अंत में अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण ड्राप किये जाने बाबत निवेदन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बहस में लैबलिंग संबंधी कमी होने के कारण अधिक से अधिक जुर्माना अधिरोपित करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया व पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थी द्वारा खण्डन किसी प्रकार का साक्ष्य आधारित नहीं किया गया है और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से निरीक्षण के दौरान क्रय किए गए Packaged Drinking Water (CR Bilseri Brand) की जांच में Misbranded की रिपोर्ट आई है। ऐसी स्थिति में हम अन्य साक्ष्यों को तलब करना आवश्यक नहीं समझते हैं और स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी द्वारा Misbranded Packaged Drinking Water (CR Bilseri Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के पश्चात Packaged Drinking Water (CR Bilseri Brand) विक्रेता एवं मालिक जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 31 की श्रेणी में आते हैं। अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी के Misbranded कृत्य के लिए धारा 52 के तहत अप्रार्थी पर 10,000/- (अखरे रुपये दस हजार मात्र) की शास्ति आरोपित की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि लगाई गई शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ के नाम डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में निर्णय से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की एक-एक प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 21.05.2024 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया



20/1
(उममदी लाल मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़